न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 02/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 भगसिंह पुत्र गजा उर्फ गजेसिंह 2 गिरधारीसिंह पुत्र गजा उर्फ गजेसिंह. 3 हरिसिंह पुत्र गजा उर्फ गजेसिंह 4 बाबूसिंह पुत्र गजा उर्फ गजेसिंह जातिगण रावत निवासीगण मगरतलाव तहसील देसूरी		1 भंवरसिंह पुत्र भगसिंह जाति रावत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री दिव्यप्रकाश त्रिवेदी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.11.17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2014 भंवरसिंह बनाम भगसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मगरतलाव के खसरा नम्बर 566/749 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.5500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 585 रकबा 0.6300 हैक्टेयर की भूमि अनरजिस्टर्ड बेचाननामे के आधार पर क्रय किया जाना बताते हुए खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अपीलाण्ट को पाबन्द कराने का निवेदन किया। उक्त वाद में अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा जवाब मय काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई गौर किये, जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जबकि अपीलाण्ट्स राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया, उसका आधार दस्तावेज ही उक्त बेचाननामा है, जो अपंजीकृत है। उक्त अनरजिस्टर्ड एवं विधिविरूद्ध दस्तावेज है, जिसको कानूनन प्रवर्तनीय करवाने की परिसीमा समाप्त हो चुकी है, इस कारण यह दस्तावेज विधि विरूद्ध है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति से विपरित है, जिससे कोई अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट को प्राप्त नही होते है एवं न ही उक्त अपंजिकृत बेचाननामें के आधार पर अपीलाधीन आराजी को रेस्पोडेन्ट अपने नाम घोषित करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दावा प्रस्तुत किया है, उसके हिस्से एवं बेचाननामा में अंकित हिस्से में विरोधाभाष है। बेचाननामा में 1/8 हिस्सा बताया है, जबकि दावे में 1/4 हिस्सा बताते हुए अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 433, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1474, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 332, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 131, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 930, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1417, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 633, आर0आर0टी0 (सप्ली.) 2011–12 पेज 217, आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 703, आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 158 तथा आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1316 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 22.05.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद एवं वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 566/749 व 571 की भूमि में फुलिया पुत्र मोटा जाति रावत की खातेदारी भूमि थी। फुलिया लाऔलाद फौत होने पर फुलिया के भाई स्व0 गजेसिंह, स्व0 पुनमा उर्फ पुनमसिंह, स्व0 गमना उर्फ गमनसिंह व लालसिंह के वारिशान हुए, जिसमें गजा उर्फ गजेसिंह के वारिशान का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा आता है तथा खसरा नम्बर 585 में गजेसिंह का 122 हिस्सा आता है। उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने अपना हिस्सा प्रार्थी को दिनांक 18.12.2007 को बेचान करना बताया तथा उक्त बेचाननामा अपंजीकृत होना बताया। उक्त बेचाननामा के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस प्रकरण में अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण ने काउण्टर प्रार्थना पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का आदेश पारित किया। जैर अपील आदेश को कानूनी दृष्टिकोण से परखा जाए, तो तथ्य यह प्रकट होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए विवेचित किया जाना आवश्यक है, यथा 1. प्रथम दृष्टया मामला, 2. सुविधा का सन्तुलन एवं 3. अपूर्णिय क्षति। जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तथाकथित बेचाननामा के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना पाया तथा इसी को दृष्टिगत रखते हुए शेष 2 बिन्दुओं को प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया। अधीनस्थ न्यायालय को प्रथमतः राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेकर्ड के आधार पर दस्तावेजात् का परीक्षण किया जाना चाहिये था, जिससे तथाकथित बेचाननामा के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया किस आधार पर पाया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक था तथा एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाना किन परिस्थितियों में आवश्यक था, इसको भी विश्लेषण आवश्यक था, जो जैर अपील आदेश में नही किया गया। तथाकथित बेचाननामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट को हक अधिकार प्राप्त होते है अथवा नही ? इसका निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही संभव होगा, किन्तु इस दरम्यान एक रेकर्डेड खातेदार को मात्र अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। इस कारण जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2014 भंवरसिंह बनाम भगसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वे पक्षकारों को समुचित सुनवाई तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित सन्दर्भित कानून को दृष्टिगत रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दुओं का विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी देसूरी का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली